

कार्यालय शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग-2022(उपखण्ड अधिकारी) भिनाय
क्रमांक/प्र.गा.के.सं./फो.शिविर-21/2022/100


दिनांक- 22/06/22

-: आदेश:-

प्रार्थी श्री हुक्मा पुत्र लाला जाति गुर्जर निवासी कीटाप ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कीटाप की जमाबंदी 2074-77(2076 से स्थायी) के खाता सं. 398 में प्रार्थी के पिता का नाम लालू पुत्र हमीरा जाति खाती दर्ज है जो कि गलत हैं। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम लाला पुत्र हमीरा जाति गुर्जर है। जिसे दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी हल्का/भू.अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार भिनाय से करवाई गई। तहसीलदार भिनाय से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आधार कार्ड, मौका पर्चा एवं शपथ पत्र के रिपोर्ट पटवार हल्का/भू.अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार भिनाय द्वारा वांछित दुरुस्ती सही किए जाने की अभिशंषा की है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार भिनाय की अभिशंषा व प्रार्थी के आधार कार्ड, मौका पर्चा वर्किंग जमाबंदी खाता सं. 404 एवं शपथ पत्र, पहचान पत्र, व मजमे आम में मौजूद मौजिज व्यक्तियों की रायशुमारी के आधार पर प्रार्थना पत्र आनुतोष पाया जाता है। अतः ग्राम कीटाप की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074-77(2076 से स्थायी) के खाता सं. 398 में खातेदार लालू पुत्र हमीरा जाति खाती के स्थान पर लाला पुत्र हमीरा जाति गुर्जर दुरुस्त किए जाने की स्वीकृति दी जाती है शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें। तहसीलदार भिनाय नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें।


(प्रभात त्रिपाठी)


शिविर प्रभारी, प्र.गा.के.सं. 2021
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

दिनांक - 22/06/22

क्रमांक/सम/2022/2694-97

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भिनाय
2. भू.अभिलेख निरीक्षक बान्दनवाडा पटवारी हल्का कीटाप
3. प्रार्थीया/प्रार्थी
4. सरपंच ग्राम पंचायत कुम्हारिया
5. आदेश पत्रावली


(प्रभात त्रिपाठी)

शिविर प्रभारी, प्र.गा.के.सं. 2021
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

